एफ-28011/19/2013-सीडीसी/2015

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

भूमि एवं विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकितः 30.1.2015

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः- न्यायालयों के ऐसे सभी मामलों की मॉनीटरिंग करना जहां केंद्रीय सरकार (यूओआई) या तो याचिकाकर्ता है अथवा प्रतिवादी- नोडल अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिव ने अपने दिनांक 24.12.2014 के अ.शा.पत्र सं. 403/1/4/2014-सीएस-V (प्रति संलग्न) के तहत एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जिससे कि विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित ऐसे सभी कानूनी मामलों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा सके और न्यायालय के समक्ष यूओआई के हितों का बचाव किया जा सके जिनमें केंद्रीय सरकार एक पक्षकार है।

2. तद्नुसार श्री एन.के. गर्ग, विधिक परामर्शदाता को उनके कर्तव्यों के अलावा न्यायालय संबंधी मामलों के मॉनीटरन के लिए भूमि और विकास कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक नोडल अधिकारी के रूप में उनके कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ कारण सूची के आधार पर अद्यतन, समयपूर्वक शपथ पत्र दायर करना, किसी दिवस विशेष को सुनवाई के उपरांत डाटाबेस का अद्यतन करना इत्यादि जैसे मामलों के लिए ई-धरती संबंधी विधिक उप मॉड्यूल पर आधारित मॉनीटरिंग करना शामिल है। इस संबंध में वह उप एलएंडडीओ-II रिपोर्ट करेंगे।

3. इसे भूमि और विकास अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(रजनीश कुमार झा)

उप भूमि एवं विकास अधिकारी

सेवा में,

(1) शहरी विकास मंत्रालय में सभी संयुक्त सचिव/ईए/विशेष कार्याधिकारी (शहरी विकास)
(2) शहरी विकास मंत्रालय में सभी निदेशक/उप-सचिव
(3) उप-सचिव (समन्वय), शहरी विकास मंत्रालय
(4) भूमि एवं विकास कार्यालय में सभी उप एलएंडडीओ/ईओ/लेखा अधिकारी/अनुभाग
(5) श्री एन.के. गर्ग, विधिक परामर्शदाता, भूमि एवं विकास कार्यालय
(6) स्वागत अधिकारी, गेट नं. 4, निर्माण भवन
(7) एलएडंडीओ की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी-एमओयूडी

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषितः-
एमओयूडी में सभी संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्तशासी कार्यालय और पीएसयू।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषितः

(1) शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव
(2) राज्यमंत्री (शहरी विकास) के निजी सचिव
(3) सचिव (शहरी विकास) के प्रधान निजी सचिव
(4) अपर सचिव (शहरी विकास) के प्रधान निजी सचिव
(5) संयुक्त सचिव (एल एंड ई) के निजी सचिव
(6) भूमि एवं विकास कार्यालय के निजी सचिव

अजित सेठ

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार

अ.शा. पत्र सं. 403/1/4/2014-सीए-V 24 दिसम्बर, 2014

प्रिय सचिव,

यह पाया गया है कि विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित पड़े अधिकतर मामलों, जिनमें भारत संघ या तो याचिकाकर्ता है या प्रतिवादी है, में सरकार के हितों का उपयुक्त कर्तव्यनिष्ठा के साथ बचाव नहीं किया जा रहा है। अतः एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि मामलों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग हो सके तथा न्यायालयों के समक्ष केंद्रीय सरकार के हितों का उपयुक्त रूप से बचाव हो सके। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं।

(i) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करके विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की अद्यतन सूची रखनी चाहिए;

(ii) लंबित न्यायालय संबंधी मामलों की मॉनीटरिंग सचिव के स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जानी चाहिए। सचिव इस प्रकार न्यायालयों के समक्ष लंबित महत्वपूर्ण मामलों और उनकी प्रगति के बारे में नियमित रूप से प्रभारी मंत्री को जानकारी दे सकता है;

(iii) मामले को मुल्तवी करने के लिए सरकार का सामान्यतः कोई आधार नहीं होना चाहिए। सरकारी अधिवक्ताओं को सलाह दी जानी चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि नेमी मामलों के रूप में स्थगन नहीं मांगा जाना चाहिए। विलंब होने से लागत में वृद्धि होती है और इससे सरकार की समयपूर्वक प्रत्युत्तर की क्षमता और प्रभावोत्पादकता पर खराब प्रभाव पड़ता है। सरकार की तरफ से मांगे गए स्थगनों की संख्या की जांच की जानी चाहिए और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए;

(iv) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में पर्याप्त वरिष्ठता वाला एक नोडल अधिकारी होना चाहिए ताकि वह न्यायलय के सभी मुकदमों के लिए एक समन्वयक स्थल के रूप में कार्य कर सके;

(v) मंत्रालय/विभाग अपने सभी काउंसलरों के साथ निरंतर संपर्क में रहने चाहिए और उन्हें यह सलाह दी जानी चाहिए कि प्रत्येक सुनवाई के उपरांत मामले में निष्कर्ष/प्रगति दर्शाते हुए मोबाइल फोन एप्लीकेशनों जैसे एसएमएस सहित संप्रेषण के सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए;

(vi) मंत्रालय/विभाग ऐसे मामलों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर सकते हैं जहां पर सरकारी हितों का पर्याप्त बचाव न किया गया हो अथवा जिसका निपटान खराब तरीके से किया गया हो और परिणामस्वरूप उसमें हार हुई हो तथा इस मामले में जांच हेतु विधि और कानून मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी जा सकती है कि क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है।

(vii) ऐसे सभी मामलों जहां शपथ पत्र के उपरांत वर्णित स्थिति में परिस्थितियां बदलने के कारणवश संशोधन किए जाने की आवश्यकता है अथवा मौजूदा सरकार की राय में मदभेद हैं, वहां सचिव के स्तर पर यह विचार करने के लिए एक तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या एक नवीन शपथ पत्र दायर करना अपेक्षित है। प्रभारी मंत्री को सभी महत्वपूर्ण शपथ पत्रों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और शपथ पत्र/प्रति शपथ पत्र दायर करने से पहले उनसे उपयुक्त मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए।

2. उपर्युक्त उपाय शीघ्र अति शीघ्र अमल में लाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आंतरिक जांच स्थापित की जानी चाहिए कि न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मामले में केंद्रीय सरकार के हितों का उपयुक्ततः बचाव हो।

सादर,

भवदीय,

अजित सेठ

श्री शंकर अग्रवाल
सचिव,
शहरी विकास मंत्रालय
नई दिल्ली